/

चंडी पुलिया बनाम।

पश्चिम बंगाल राज्य (2022 की आपराधिक अपील संख्या 2249) 12 दिसंबर, 2022

/

[एम**.** आर**.** शाह और सी**.** टी**.** रविकुमार**,** न्यायाधीशगण **]**

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973:धारा 227, 300, 228 – निष्कासन आवेदन-अपीलार्थी को सत्र न्यायालय द्वारा एस. एस. के अंतर्गत अपराधों के लिए बरी कर दिया गया था।148, 149, 448, 364 और 506 भारतीय दंड संहिता सी.-अपीलार्थी के खिलाफ दूसरी एफ़. आई. आर. अन्य बातों के साथ-साथ यह आरोप लगाते हुए दर्ज की गई कि उसने और अन्य सह-अभियुक्त ने पहले मुखबिर के पिता की मृत्यु का कारण बना, वही व्यक्ति जिसे उन्होंने अपहरण करने का आरोप लगाया था और उन्हें बरी कर दिया गया था-अपीलार्थी ने दूसरी एफ़. आई. आर. से उत्पन्न आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया-याचिका को खारिज करते हुए, उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी को आरोप तय करने के समय विधि के सभी बिंदुओं को उठाने की स्वतंत्रता दी-अपीलार्थी द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका को इस न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया-तदनुसार, अपीलार्थी ने यू/एस.227 आर/डब्ल्यू 300 (1) CrP.C निचली विचारण न्यायालय के समक्ष-निचली विचारण न्यायालय ने यह कहते हुए आरोपमुक्त करने के आवेदन को खारिज कर दिया कि इस तरह की आपत्ति आरोप तय करने के चरण में उठाई जा सकती है न कि आरोपमुक्त करने के चरण में-उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा दायर पुनरीक्षण आवेदन को खारिज कर दिया-आयोजितः निर्वहन का चरण यू/एस।227 चार्ज (यू/एस) के गठन से पहले का एक चरण है।228 Cr.P.C.) और यह केवल उस स्तर पर है कि न्यायालय आवेदन यू/एस पर विचार कर सकती है।300 – न्यायालय द्वारा आरोपमुक्त करने के आवेदन को खारिज करने के बाद, यह यू/एस के तहत आरोप तय करने के लिए आगे बढ़ेगा।228 – उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया जाता है-आरोपमुक्त करने के आवेदन पर विचार करने के लिए मामला निचली विचारण न्यायालय को भेजा जाता है।

/

/

/

/

मामले को निचली न्यायालय में भेजते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया :धारा **227** के निष्पक्ष अध्ययन पर, यदि मामले के अभिलेख और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों पर विचार करने पर, और अभियुक्त और अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद, न्यायाधीश यह मानता है कि अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार नहीं है, तो वह अभियुक्त को आरोपमुक्त करेगा और ऐसा करने के लिए अपने कारणों को दर्ज करेगा।के रूप में

/

/

566

567

चंडीगढ़ पुलिया बनाम पश्चिम बंगाल राज्य [एम. आर. शाह, जे.] ए.

धारा **228** दंड प्रक्रिया संहिता अनुसार, उसके बाद ही और यदि, इस तरह के विचार और सुनवाई के बाद, न्यायाधीश की राय है कि यह मानने के लिए आधार है कि अभियुक्त ने अपराध किया है, तो विचारण न्यायालय आरोप तय करेगा।इसलिए, धारा **227** दंड प्रक्रिया संहिता अंतर्गत आरोप तय करने से पहले **(**धारा **228** दंड प्रक्रिया संहिता अंतर्गत **)** आरोप मुक्त करने का चरण है और यह केवल उस स्तर पर है जब न्यायालय धारा **300** दंड प्रक्रिया संहिता अंतर्गत आवेदन पर विचार कर सकती है। एक बार जब न्यायालय आरोप मुक्त करने के आवेदन को खारिज कर देती है, तो वह धारा **228** दंड प्रक्रिया संहिता अंतर्गत आरोप तय करने के लिए आगे बढ़ेगी। **[**पैरा **7] [571-**सी**-ई]**

/

रतिलाल भंजी मिथानी बनाम महाराष्ट्र राज्य **(1979)**

/

1 एस**.** सी**.** आर**. 993-**संदर्भित।संदर्भित निर्णय

[1979] 1 एससीआर **993**

संदर्भित

पैरा **4.1**

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय:2022 की आपराधिक अपील संख्या 2249।

/

2022 के सी. आर. आर. No.1328 में कोलकाता, पश्चिम बंगाल में कलकत्ता उच्च न्यायालय के दिनांकित 27.06.2022 के निर्णय और आदेश से।

सिद्धार्थ दवे, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुश्री सुरुचि सूरी, सुश्री श्रीलीना रॉय, प्रस्टुट दलवी, चंचलकुमार गंगुली, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।सुनील फर्नांडिस, सुश्री आस्था शर्मा, दिव्यांश तिवारी, रविंदर सिंह, सुश्री रवीशा गुप्ता, सुश्री मंटिका हरियानी, संजीव कौशिक, श्रेयस अवस्थी, देवव्रत सिंह, अधिवक्ता।प्रत्यर्थियों के लिए।

/

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

/

एम. आर. शाह, जे.

1. अनुमति दी गई।

2. कलकत्ता में उच्च न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण आवेदन संख्या 1328/2022 में पारित आक्षेपित निर्णय और दिनांक 27.06.2022 के आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी-अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत उक्त पुनरीक्षण आवेदन को खारिज कर दिया है और 2018 के विशेष मामले संख्या 120 में पारित विद्वान विशेष न्यायालय , पश्चिम बंगाल (सांसद और विधायक मामला), बिधाननगर दिनांक 4.3.2022 द्वारा पारित आदेश की पुष्टि की है, अपीलार्थी-अभियुक्त ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

/

/

3. संक्षेप में वर्तमान अपील की ओर ले जाने वाले तथ्य इस प्रकार हैंःकि इसमें अपीलार्थी पर पहले केशपुर पुलिस स्टेशन की एफ. आई. आर. संख्या 61/2002 दिनांक 26.09.2002 में भारतीय दंड संहिता (आई. पी. सी.) की धारा 148,149,448,364 और 506 के अंतर्गत दंडनीय अपराधों के लिए मुकदमा चलाया गया था।अपीलार्थी को विद्वान सत्र न्यायालय द्वारा निर्णय और बरी करने के आदेश दिनांक 21.05.2010 के माध्यम से बरी कर दिया गया।कि इसके बाद पहली एफ़. आई. आर. दर्ज करने की तारीख से नौ साल की अवधि के बाद और बरी होने की तारीख से एक साल की अवधि के बाद, अपीलार्थी और अन्य लोगों के

खिलाफ दूसरी एफ़. आई. आर. दर्ज की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि अपीलार्थी और अन्य सह-अभियुक्तों ने अजय आचार्य, यानी पहले मुखबिर के पिता, उसी व्यक्ति की मौत का कारण बना, जिसका उन्होंने अपहरण करने का आरोप लगाया था और उन्हें बरी कर दिया गया था।

/

/

3.1 ऐसा प्रतीत होता है कि कथित घटना के 11 साल बाद मृतक के बेटे द्वारा कंकाल की खोज और कंकाल के कपड़ों और दांतों की पहचान के आधार पर दूसरी प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

/

3.2 अपीलार्थी-अभियुक्त ने दिनांक 1 के आदेश के माध्यम से दूसरी प्राथमिकी से निकलने वाली पूरी आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उक्त कार्यवाही को खारिज करते हुए, उच्च न्यायालय ने आरोप तय करते समय विधि के सभी बिंदुओं पर विचार करने की स्वतंत्रता प्रदान की।विशेष अनुमति याचिकाओं को खारिज करते हुए, इस न्यायालय ने अभियुक्त-अपीलार्थी को आरोप तय करने के चरण में उपचार का लाभ उठाने की स्वतंत्रता प्रदान की।तदनुसार, अपीलार्थी द्वारा विद्वत विचारण न्यायालय के समक्ष धारा 300 (1) दंड प्रक्रिया संहिता अंतर्गत धारा 227 आर/डब्ल्यू के अंतर्गत आरोपमुक्त करने का आवेदन दायर किया गया था।विद्वत विचारण न्यायालय ने उक्त आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इस तरह की आपत्ति आरोप तय करने के चरण में उठाई जा सकती है न कि निर्वहन।विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पुष्टि उच्च न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा की गई है।इसलिए, वर्तमान अपील योजित की गई है।

/

/

4. अपीलार्थी की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ वकील श्री सिद्धार्थ दवे ने आरोप लगाया कि निचली अदालतों ने आरोपमुक्त करने के चरण में अपीलार्थी द्वारा दायर आरोपमुक्त करने के आवेदन पर विचार नहीं करने में गलती की है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि धारा 227 दंड प्रक्रिया संहिता अंतर्गत आरोपमुक्त होने का चरण आरोप से पहले का एक चरण है और यह केवल इस स्तर पर है कि न्यायालय धारा 300 दंड प्रक्रिया संहिता अंतर्गत एक आवेदन पर विचार कर सकती है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि एक बार न्यायालय आरोपमुक्त करने के आवेदन को खारिज कर देती है, तो वह ए के अंतर्गत आरोप निर्धारित करने के लिए आगे बढ़ेगी।

/

/

569

चंडीगढ़ पुलिया बनाम पश्चिम बंगाल राज्य [एम. आर. शाह, जे.] ए.

धारा 228 और इसके समक्ष एकमात्र प्रश्न अपराध की प्रकृति के बारे में होगा, और यह नहीं कि अपीलार्थी ने कोई अपराध नहीं किया है, या कि धारा 300 के अंतर्गत बार के कारण उस पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है।

4.1 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि नीचे दी गई अदालतें यह समझने में विफल रही हैं कि वर्तमान कार्यवाही निर्वहन कार्यवाही से उत्पन्न होती है और धारा 227 दंड प्रक्रिया संहिता अंतर्गत निर्वहन का चरण धारा 228 दंड प्रक्रिया संहिता अंतर्गत आरोप तय करने के चरण से पहले होता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि जैसा कि रतिलाल के मामले में इस न्यायालय द्वारा देखा और अभिनिर्धारित किया गया है

/

भंजी मिथानी बनाम महाराष्ट्र राज्य, (1979) 2 एस. सी. सी. 177, एक बार

आरोप विरचित किए जाते हैं, आरोपी को आरोपमुक्त करने के लिए प्रार्थना करने से वंचित कर दिया जाता है।

/

4.2 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि यह सच है कि बरी होने के दिनांक 21.05.2010 के निर्णय को राज्य द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई है, लेकिन इसे उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है।

4.3 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि अपीलार्थी को पहले ही अपहरण के अपराध से बरी कर दिया गया है।उन्हीं तथ्यों के आधार पर, अपीलार्थी पर अब भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 346 का उपयोग किए बिना, धारा 300 (1) दंड प्रक्रिया संहिता अंतर्गत प्रतिबंध को दरकिनार करने के लिए भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 300 (1) दंड प्रक्रिया संहिता अंतर्गत अपराध के लिए मुकदमा चलाने की मांग की जा रही है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि धारा 300 (1) दंड प्रक्रिया संहिता अंतर्गत प्रतिबंध किसी भी अन्य अपराध के लिए उन्हीं तथ्यों के लिए अभियोजन पर भी लागू होता है, जिसके लिए आरोपी के खिलाफ धारा 221 की उप-धारा (1) के अंतर्गत अलग आरोप लगाया गया हो सकता है, या जिसके लिए आरोपी को उसकी उप-धारा (2) के अंतर्गत दोषी ठहराया गया हो सकता है।

/

/

4.4 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि राज्य बनाम नलिनी, (1999) 5 एस. सी. सी. 253 के मामले में, इस न्यायालय ने आत्मद्रोही दोषी और आत्मद्रोही बरी होने के सिद्धांत पर चर्चा करते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि धारा 300 दंड प्रक्रिया संहिता ने एक ही अभियुक्त के खिलाफ एक ही तथ्यों पर दूसरे मुकदमे को एक अलग अपराध के लिए भी प्रतिबंधित करके सुरक्षात्मक शाखाओं का विस्तार किया है।

/

4.5 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए और उपरोक्त निर्णयों पर भरोसा करते हुए, यह प्रार्थना की जाती है कि वर्तमान अपील को अनुमति दी जाए और अपीलार्थी को धारा 300 (1) दंड प्रक्रिया संहिता संदर्भ में बाद की दूसरी प्राथमिकी संख्या 36/2011 से मुक्त किया जाए।

/

5. वर्तमान अपील का विरोध करते हुए, प्रतिवादी-राज्य की ओर से पेश विद्वान वकील श्री सुनील फर्नांडीस ने जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया है कि इस प्रकार पहली प्राथमिकी के संबंध में बरी करने का आदेश है -

/

उच्च न्यायालय के समक्ष अपील का विषय।यह प्रस्तुत किया जाता है कि अन्यथा भी पहली एफ. आई. आर. में अपीलार्थी और अन्य सह-अभियुक्तों पर एफ. आई. आर. संख्या 61/2002 में भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 148,149,448,364 और 506 के अंतर्गत अपराधों के लिए मुकदमा चलाया गया था।यह प्रस्तुत किया जाता है कि संबंधित समय पर मृतक का शव नहीं मिला था।यह प्रस्तुत किया जाता है कि अपीलार्थी और अन्य सह-अभियुक्तों पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें अपहरण आदि के अपराध के लिए बरी कर दिया गया, न कि भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 307 के अंतर्गत अपराध के लिए, जैसा कि अब बाद की एफ़. आई. आर. के अनुसार मुकदमा चलाया जाना है, जो कंकाल की खोज और कंकाल के कपड़ों और दांतों की पहचान के बाद दर्ज की गई थी।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए, धारा 300 दंड प्रक्रिया संहिता को बिल्कुल भी आकर्षित नहीं किया जाएगा।

/

/

5.1 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि इससे पहले अपीलार्थी द्वारा धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता अंतर्गत दूसरी एफ. आई. आर. से निकलने वाली बाद की आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए प्रस्तुत आवेदन उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था और अपीलार्थी को आरोप तैयार करने के चरण में उपचार का लाभ उठाने के लिए हटा दिया गया था।यह प्रस्तुत किया जाता है कि धारा 300 दंड प्रक्रिया संहिता अंतर्गत याचिका/बचाव को सेवा में लगाया गया था, लेकिन उच्च न्यायालय ने बाद की दूसरी प्राथमिकी से उत्पन्न आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर दिया। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसके बाद जब अभियुक्त ने आरोपमुक्त करने का आवेदन दायर किया था, तो विद्वत विचारण न्यायालय ने यह देखते हुए उक्त आवेदन को खारिज कर दिया कि अपीलार्थी-अभियुक्त आरोप तय करने के समय धारा 300 (1) दंड प्रक्रिया संहिता अंतर्गत याचिका में उल्लिखित सभी बिंदुओं को उठाने का हकदार है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि धारा 227 दंड प्रक्रिया संहिता अंतर्गत आरोपमुक्त करने के आवेदन पर अभी तक विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया गया है।

/

/

5.2 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए, वर्तमान अपील को खारिज करने का अनुरोध किया जाता है।

/

6. हमने संबंधित पक्षों के लिए विद्वान वकील को विस्तार से सुना है।

प्रारंभ में, यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता अंतर्गत याचिका को खारिज करते समय उच्च न्यायालय द्वारा आरक्षित स्वतंत्रता के अनुसार, अपीलार्थी अभियुक्त ने धारा 300 (1) दंड प्रक्रिया संहिता अंतर्गत धारा 227 के अंतर्गत आरोपमुक्त करने के लिए एक आवेदन दायर किया। उक्त आवेदन में से, धारा 300 (1) दंड प्रक्रिया संहिता अंतर्गत आवेदन को विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा यह कहते हुए खारिज कर दिया गया है कि अपीलार्थी-अभियुक्त आरोप तैयार करने पर सुनवाई के समय धारा 300 (1) Cr.P.C की प्रयोज्यता सहित सभी बिंदुओं को उठाने का हकदार होगा।अभियुक्त द्वारा दायर धारा 227 दंड प्रक्रिया संहिता अंतर्गत आवेदन पर विद्वान ए द्वारा अभी तक विचार नहीं किया गया है।

/

/

/

चंडीगढ़ पुलिया बनाम पश्चिम बंगाल राज्य [एम. आर. शाह, जे.] ए.

ट्रायल न्यायालय ।इस स्तर पर, धारा 227 दंड प्रक्रिया संहिता का उल्लेख किया जाना आवश्यक है, जो निम्नानुसार हैः

“227. आरोपमुक्त करना-यदि मामले के अभिलेख और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों पर विचार करने के बाद, और इस संबंध में अभियुक्त और अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद, न्यायाधीश यह समझता है कि अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार नहीं है, तो वह अभियुक्त को आरोपमुक्त करेगा और ऐसा करने के लिए अपने कारणों को दर्ज करेगा। "

/

7. धारा 227 के निष्पक्ष अध्ययन पर, यदि मामले के अभिलेख और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों पर विचार करने के बाद, और इस संबंध में अभियुक्त और अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद, न्यायाधीश मानता है कि अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार नहीं है, तो वह अभियुक्त को आरोपमुक्त करेगा और ऐसा करने के लिए अपने कारणों को दर्ज करेगा।धारा 228 दंड प्रक्रिया संहिता अनुसार, उसके बाद ही और यदि, उपरोक्त विचार और सुनवाई के बाद, न्यायाधीश की राय है कि यह मानने के लिए आधार है कि अभियुक्त ने अपराध किया है, तो विचारण न्यायालय आरोप तय करेगा।इसलिए, जैसा कि श्री सिद्धार्थ दवे द्वारा उचित रूप से प्रस्तुत किया गया है, अपीलार्थी-अभियुक्त की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ वकील ने कहा कि धारा 227 दंड प्रक्रिया संहिता अंतर्गत आरोप तय करने से पहले (धारा 228 दंड प्रक्रिया संहिता अंतर्गत) आरोप मुक्त करने का चरण है और यह केवल उस स्तर पर है जब न्यायालय धारा 300 दंड प्रक्रिया संहिता अंतर्गत आवेदन पर विचार कर सकती है। एक बार जब न्यायालय आरोप मुक्त करने के आवेदन को खारिज कर देती है, तो वह धारा 228 दंड प्रक्रिया संहिता अंतर्गत आरोप तय करने के लिए आगे बढ़ेगी।

/

/

/

8. इन परिस्थितियों अंतर्गत , विद्वत विचारण न्यायालय ने आरोप तय करने के समय और/या आरोप तय करने से पहले धारा 300 (1) दंड प्रक्रिया संहिता अंतर्गत आवेदन पर विचार नहीं करने अंतर्गत गलती की है।जैसा कि ऊपर कहा गया है, निचली न्यायालय ने कहा था कि अपीलकर्ता-अभियुक्त आरोप तय करने पर सुनवाई के समय धारा 300 (1) दंड प्रक्रिया संहिता अंतर्गत अपने आवेदन में उल्लिखित सभी बिंदुओं को उठाने का हकदार होगा।हालाँकि, जैसा कि ऊपर देखा गया है, इस तरह की कवायद आरोप तय करने से पहले एक स्तर पर की जानी आवश्यक थी और यदि अंततः अदालत धारा 300 (1) Cr.P.C की आपत्ति को खारिज करने वाले निष्कर्ष पर पहुंचती है और तथ्यों पर संतुष्ट होती है तो वह धारा 228 दंड प्रक्रिया संहिता अंतर्गत प्रदान किए गए आरोप को तैयार कर सकती है। उच्च न्यायालय ने उपरोक्त पहलू की बिल्कुल भी सराहना नहीं की है और/या उस पर विचार नहीं किया है।इसलिए, धारा 300 (1)

दंड प्रक्रिया संहिता प्रयोज्यता अंतर्गत अभियुक्त की याचिका अंतर्गत विचार करने के लिए मामले को विद्वत विचारण न्यायालय को भेजे जाने की आवश्यकता है।

/

/

/

/

/

[2022] 14 एस सी आर।

धारा 227 Cr.P.C, जो धारा 228 दंड प्रक्रिया संहिता अंतर्गत आरोप तय करने से पहले का एक चरण है।

9. अब जहाँ तक अपीलार्थी की ओर से धारा 300 (1) दंड प्रक्रिया संहिता अंतर्गत बार को देखते हुए अभियुक्त को आरोपमुक्त करने की प्रार्थना का संबंध है, उच्च न्यायालय द्वारा धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता अंतर्गत याचिका को खारिज करने के पहले के आदेश को देखते हुए इस स्तर पर यह अनुमति नहीं दी जा सकती है, ताकि उन आपराधिक कार्यवाही को रद्द किया जा सके जिन्हें उसी आधार पर रद्द करने की मांग की गई थी और अभियुक्त को आरोपमुक्त करने के समय उपचार प्राप्त करने के लिए हटा दिया गया था।यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित पहले के आदेश ने अंतिमता प्राप्त कर ली थी और उसके बाद भी अपीलार्थी-अभियुक्त ने धारा 300 (1) दंड प्रक्रिया संहिता अंतर्गत धारा 227 आर/डब्ल्यू के अंतर्गत आरोपमुक्त करने का आवेदन दायर किया था।

/

/

10. उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश को इसके द्वारा रद्द कर दिया जाता है और अलग कर दिया जाता है।अपीलार्थी-अभियुक्त द्वारा धारा 300 (1) दंड प्रक्रिया संहिता अंतर्गत दायर आवेदन पर विचार करने के लिए मामला विद्वत विचारण न्यायालय को प्रेषित किया जाता है, साथ ही धारा 227 दंड प्रक्रिया संहिता अंतर्गत निर्वहन के लिए आवेदन, जो आरोप तय करने से एक चरण पहले है और उसके बाद धारा 228 दंड प्रक्रिया संहिता अंतर्गत आरोप तय करने पर उचित आदेश पारित करने के लिए, यदि धारा 300 (1) के अंतर्गत अभियुक्त की आपत्ति/बचाव को खारिज कर दिया जाता है और विचारण न्यायालय संतुष्ट होता है कि अभियुक्त के खिलाफ आरोप तैयार करने के लिए पर्याप्त आधार हैं।उपरोक्त प्रक्रिया वर्तमान आदेश की प्राप्ति की तारीख

से छह सप्ताह की अवधि के भीतर पूरी की जाएगी।यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि विद्वत विचारण न्यायालय , आक्षेपित आदेश में उच्च न्यायालय द्वारा या वर्तमान आदेश में इस न्यायालय द्वारा की गई किसी भी टिप्पणी से प्रभावित हुए बिना, उक्त आवेदन पर विधि के अनुसार और अपने गुण-दोष के आधार पर निर्णय लेगा।

/

/

/

11. वर्तमान अपील का निपटारा उपरोक्त टिप्पणियों के साथ किया जाता है।

/

मामला निचली विचारण न्यायालय को भेजा गया।

(सहायकः प्रीतम भारती, एलसीआरए)

/

/